

सं०सं०-16/एम.1-69/2025

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,

वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग, एनेक्सी ब्लॉक 3, भूतल,

पुराना सचिवालय, पटना-800015

पटना, दिनांक-

विषय:- शोखपुरा जिला में कार्यरत नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग का पत्रांक PCFC/MED/RACS/2024/0640/2088(25) dated 27-12-2024


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन सख्या 08/2020 के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सख्या-305(आ.चि.), दिनांक-14.03.2024 द्वारा यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण तदुपरांत आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं०-743(आ.चि.), दिनांक-19.07.2024 द्वारा यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अति०प्रा०स्वा०के०/औषधालयों आदि में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी योगदान देकर कार्यरत हैं। इस प्रकार सभी यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

विभागीय पत्रांक 1397(आ०चि०) दिनांक 20.12.2024 द्वारा नवनियुक्त आयुष फिजिषियनों के पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि को कतिपय शर्तों के साथ विनियमन किया जा चुका है। वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिन यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विनियमन की शर्तें पूरी कर ली गयी हैं उनका समेकित विनियमन सूचना अवधि सहित निम्नवत है:-




12/03/2025

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या	यदि वेतन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/ GPF संख्या	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ० हेना एकबाल यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	अति० प्रा० स्या० केन्द्र, आस्थावा, चेवाडा	दिनांक 15.03.2024 से 23.07.2024 तक 131 दिन	—	05122425057722		प्रशिक्षण अवधि

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/—

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक— 408 (आ. वि.)

पटना, दिनांक— 12.3.2026

प्रतिलिपि:—महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—सिविल सर्जन, शेखपुरा/कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई०टी० प्रबंधक, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/03/26
सरकार के अवर सचिव